राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट 2018

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत नुआं प्रकरण स. 67 / 2017 उनवान रणधीर सिंह बनाम श्रीराम वगैरह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्त करवाने रिकार्ड
25.06.2018	यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत नुआं मे पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार मण्डावा उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया। प्रार्थना-पत्र पर सुना गया व प्रकरण को लोक अदालत मे लिया जाकर अवलोकन किया गया। संक्षेप्प मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार रहे है कि राजस्व ग्राम रणजीतपुरा के नामान्तरकरण संख्या 17 के राजस्व रिकार्ड व प्रार्थना-पत्र की धारा 1 मे वर्णित भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के हाल खसरा न. 136 रकबा 1.28 हैक्टर व खसरा न. 137 रकबा 1.50 हैक्टर मे दुरूस्तीकरण किया जाकर प्रार्थी न. 1 रतन सिंह पुत्र गणपत सिंह के स्थान पर रणधीर सिंह पुत्र गणपत सिंह व इमरती पत्नी स्व. प्रेम सिंह के स्थान पर प्रार्थीया न. 2 का नाम सुमित्रा देवी पत्नी स्व. प्रेम सिंह दर्ज करने का निवेदन किया है। नायब तहसीलदार मण्डावा ने जमाबन्दी ग्राम रणजीतपुरा सम्वत 2074-77 की खाता संख्या 97 खसरा न. 137 मे रतन सिंह पुत्र गणपत के स्थान पर रणधीर सिंह पुत्र गणपत तथा इमरती पत्नी प्रेम के स्थान पर सुमित्रा पत्नी प्रेम किये जाने की अभिशंषा की है। हमने प्रार्थना-पत्र पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार मण्डावा का बगौर मनन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेशः- उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रणजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 97 के खसरा न. 137 में रतन सिह पुत्र गणपत सिंह के स्थान पर रणधीर सिंह पुत्र गणपत सिंह व इमरती पत्नी स्व. प्रेम के स्थान पर सुमित्रा देवी पत्नी स्व. प्रेम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राजस्थान)

Scanned by CamScanner